[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 5/2017- एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

7 आषाढ़, 1939 शक

का.आ. ……….. (अ)–केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, अधिसूचना सं. 4/2017-एकीकृत कर, तारीख 28 जून, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवृत्त नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार है, ऐसे व्यक्ति द्वारा उक्त नियमों के अधीन जारी किए जाने वाले किसी कर-बीजक में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड के अंकों का वर्णन करेगा ।

सारणी

क्रम सं0	**पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में वार्षिक आवृत्त**	**एचएसएन कोड के अंकों की संख्या**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक और पांच करोड़ रुपए तक	2
3.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार